न्यायालय अपर समाहर्त्ता, रोहतास (सासाराम)

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 –93/2016

सरकार बनाम लक्षुमण साह

आदेश

22-2-20 प्रस्तुत वाद जमाबंदी रद्दीकरण वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिक्रमगंज के पत्रांक 966, दिनांक 13.11.2014 से लक्षुमण साह, पिता – स्व0 शिवलाल, ग्राम+पो0+थाना – राजपुर अंचल – राजपुर जिला – रोहतास के नाम से कायम जामबंदी सं0 – 4065/25 के रद्दीकरण हेतु प्रस्ताव के आलोक में प्रारंभ किया गया है, जिसमें वादगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

वादगत भूमि का विवरण

अंचल का नाम	मौजा/थाना नं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा
राजपुर	राजपुर/07	933	3686,2721	0.08 ए0

किस्म जमीन अनाबाद बिहार सरकार एवं अनाबाद सर्वसाधारण है। वाद के विचारण के दौरान उभय पक्षों को नोटिश निर्गत की गयी।

जमाबंदीदार के तरफ से अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि विपक्षी के पिता शिवलाल ने भूतपूर्व मालिक से रकबा 8 डी0 बन्दोबस्त लिया था और दखल कब्जा में चले आ रहे थे। रिविजनल सर्वे में वादगत भूमि बिहार सरकार के नाम से दर्ज हो गया। जिसके उपारान्त जमाबंदीदार द्वारा सर्वे में सुधार हेतु धारा 10(बी0) के अन्तर्गत न्यायालय चकबंदी पदाधिकारी नासरीगंज रोहतास में वाद दायर किया गया , जिसका वाद सं0 – 259/1986–87 है, जिसमें चकबंदी पदाधिकारी, नासरीगंज द्वारा उक्त भूमि पर शिवलाल एवं अन्य के नाम से खाता दर्ज करने तथा संगत पंजीयों में सुधार करने का आदेश पारित किया। उक्त पारित आदेश के आलोक में लगान निर्धारण वाद सं0 – 05/2010–11 कायम हुआ तथा विपक्षी द्वारा 2018–19 तक मालगुजारी भी अदा किया गया है। इस प्रकार कायम जमाबंदी को यथावत रहने का अनुरोध किया गया है तथा प्रस्तुत न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, रोहतास के जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 93/2016 को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता उपस्थित होकर राज्य का पक्ष रखा तथा अपना लिखित तर्क भी प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होने वादगत भूमि का आर0एस0 खतियान अनाबाद बिहार सरकार के नाम से कायम है तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा नहीं किये जाने के आधार पर प्रस्तुत जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

प्राप्त प्रस्ताव तथा सरकारी अधिवक्ता द्वारा दाखिल जवाब के अवलोकन तथा वाद के विचारण से निम्नवत तथ्य स्थापित होता है :–

(1) बिहार काश्तकारी (संशोधन अधिनियम), 2017 के अधिनियम की धारा 158(सी) के अनुसार वैसी रैयती बेलगान/काबिल लगान भूमि का, जिसका लगान भू–सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के संचालन के दौरान नियत नहीं किया गया हो, लगान नियत करने की शक्ति क्षेत्र के भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी में निहित होगी। परन्तु जमाबंदीदार द्वारा कथित/उल्लेखित लगान निर्धारण वाद सं0 05/2010–11 के संबंध में केवल राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन संलग्न किया गया है अंचल अधिकारी का अनुशंसा तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता /अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न नहीं किया गया है। जिससे जमाबंदीदार द्वारा उल्लेखित लगान निर्धारण वाद सं0 – 05/2010–11 का संदिग्ध होना दर्शाता है।

(2) वादगत भूमि खतियान में अनाबाद बिहार सरकार तथा अनाबाद सर्व साधारण दर्ज है।

(3) मौजा राजपुर का चक सम्पुष्ट है परन्तु Bihar consolidation of holding and prevention of fragmentation act,1956 की धारा 26 (क) के तहत उक्त मौजा अनाधिसूचित (Denotified) नहीं है। स्पष्टतः चकबंदी कार्रवाई पूर्ण नहीं

93/2016

हुई है जिसके आधार पर Right and title आवेदक का नहीं बनता है।

उक्त जमाबंदी रद्दीकरण वाद में अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि तत्कालिन राजस्व कर्मचारी मो0 नेसार अहमद द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 332/2012–13 अंकित कर जमाबंदी सं0 4065/25 कायम किया गया है तथा जमाबंदी पंजी पर टिप्पणी भी अंकित है कि जमाबंदो रद्दीकरण हेतू अपर समाहर्त्ता यहाँ भेजा गया है लगान रसीद बंद रहेगा। परन्तु उक्त दाखिल खारिज का कोई साक्ष्य अंचल कार्यालय राजपुर में उपलब्ध नहीं है। केवल एक साधारण पंजी संधारित है। जिसमें जमाबंदी का जिक किया गया है। परन्तु उस पंजी में किसी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचनाओं के आधार पर स्पष्ट है कि तत्कालीन पदाधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उक्त जमाबंदी संधारित किया गया है ,जो राजस्व विभागीय नियमावलियों के प्रतिकुल है। अतएव अंचल अधिकारी, राजपुर के जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 99/2014–15 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में वादगत भूमि मौजा–राजपुर, थाना सं0 – 07, खाता सं0 – 933 खेसरा सं0 – 3686,2721 कुल रकबा – 0.08 ए0 की जमाबंदी लक्ष्मण साह, ग्राम+पो0 – राजपुर के नाम से कायम है, का जमाबंदी सं0 – 4065/25 को बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के section - 9 में प्रदत्त शक्तियों के तहत् जमाबंदी रद्द किया जाता है।

अंचल अधिकारी राजपुर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिक्रमगंज को निदेश दिया जाता है कि उक्त वाद में संलिप्त दोषी पदाधिकारी/राजस्व कर्मचारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव जिला पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करें। स्थापना उप समहर्त्ता, रोहतास,सासाराम से समूचित कार्रवाई अपेक्षित है।

आदेश से सभी संबंधित को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
रोहतास (सासाराम)।

अपर समाहर्त्ता,
रोहतास (सासाराम)।

ज्ञापांक – 64 रा0, दिनांक – 22/02/2020

प्रतिलिपि – अंचल अधिकारी राजपुर / भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिक्रमगंज / स्थापना उप समाहर्त्ता, रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला सूचना एवं विज्ञान पदा0 (NIC) रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ, जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
रोहतास, सासाराम।